संख्या-3736/I-2/95-रा0-2

प्रेषक,

श्री बाबू राम,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी ।पर्वतीय जिलों को छोड़कर।
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 1995

विषय:- गाँव सभा में निहित ताल, पोखरों, मीनाशयों एवं जल-प्रणालियों का प्रबन्ध ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मत्स्य पालन कार्य का सम्यक लाभ मछुवा समुदाय और अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति को प्राप्त हो तथा ताल, पोखरों मीनाशयों के पट्टे बिचौलियों एवं असामाजिक तत्वों के पक्ष न हो, सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-126।।। के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम-।।5-क।3। द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयो करते हुए राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश दिये हैं :-

दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के तालाबों, पोखरों, मीनाशयों के लिये	दो हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल के तालाबों, पोख मीनाशयों तथा जल प्रणालियों के लिये ।
।-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के मछुवा समुदाय ।मछुवा, केवट, निषाद, मल्लाह, बिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, बाथम, रायकवार, माँझी, गोड़िया ।कहार। तुरेहा या तुराहा आदि ।	।-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के मछुवा समुदा की पंजीकृत मछुवा सहकारी समिति जो मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मु सहकारी समिति का तात्पर्य सहकारी अधिनि उत्तर प्रदेश 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी मत जीवी सहकारी समिति से है जिसके सदस्य म समुदाय के व्यक्ति हों ।

....2

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत के मछुवा समुदाय (मछुवा, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, बाथम, राय-क्वार, माँझी, गोड़िया (कहार), तुरेहा या तुराहा आदि ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत के मछुवा समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत हों ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड के मछुवा समुदाय (मछुवा, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, बाथम, राय-क्वार, माँझी, गोड़िया (कहार) तुरेहा या तुराहा आदि ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड के मछुवा समुदाय की मछुवा सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हों ।

(द) जनपदीय मछुवा समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हों ।

(य) प्रदेशीय मछुवा समुदाय की मछुवा सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हों ।

2-(अ) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

2-(अ) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हों ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

3-(अ) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की मछुवा समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो । और जो मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हों ।

3-(अ) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अन्य सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हों ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र की मछुवा समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत की अन्य सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड स्तर की मछुवा सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड की अन्य पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

....3...

4-(अ) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

(ब) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

(स) सम्बन्धित विकास खण्ड की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

5-प्रतिबन्ध यह है कि :-

(1) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की किसी इच्छुक व्यक्ति के न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत तत्पश्चात् सम्बन्धित विकास खण्ड और तत्पश्चात् सम्बन्धित जनपद के इच्छुक व्यक्ति को पट्टा दिया जा सकेगा।

(2) यदि वरीयता क्रम में एक से अधिक व्यक्ति/समितियाँ हों तो उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर निर्धनता/आवश्यकता के आधार पर पट्टा आवंटन समिति द्वारा विचार कर पट्टा निष्पादित किया जायेगा ।

(3) यदि नीलामी में किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया जाता है तो उस दशा में परगनाधिकारी द्वारा दैनिक भाड़े पर मत्स्य आखेट की व्यवस्था की जायेगी ।

जहाँ तक सम्भव हो पट्टा देने की कार्यवाही तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से की जाय। उपरोक्त शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाय और शिविरों में उपरोक्त पैरा-6(2)(ख) के अनुसार पात्र व्यक्तियों को आमंत्रित

4- सम्बन्धित जिले स्तर की अन्य पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

5-प्रतिबन्ध यह है कि :-

(1) सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की किसी इच्छुक पंजीकृत सहकारी समिति के न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत तत्पश्चात् सम्बन्धित विकास खण्ड और तत्पश्चात् सम्बन्धित जनपद की इच्छुक पंजीकृत सहकारी समिति को पट्टा दिया जा सकेगा ।

(2) यदि वरीयता क्रम में एक से अधिक समितियाँ हों तो उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर निर्धनता/आवश्यकता के आधार पर पट्टा आवंटन समिति द्वारा विचार कर पट्टा निष्पादित किया जायेगा ।

(3) यदि नीलामी में किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया जाता है तो उस दशा में परगनाधिकारी द्वारा दैनिक भाड़े पर मत्स्य आखेट की व्यवस्था की जायेगी ।

जहाँ तक सम्भव हो पट्टा देने की कार्यवाही तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से की जाय । उपरोक्त शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाय और शिविरों में उपरोक्त पैरा-6(2)(ख) के अनुसार पात्र व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय ।

....4....

किया जाय । सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों के अध्यक्ष (प्रधान) तथा सेक्रेटरी (लेखपाल) तथा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार शिविरों में उपस्थित हों और शिविरों में भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील के नामित मछुवा समुदाय के प्रतिनिधि की संस्तुति पर ही परगनाधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किया जाय । यदि भूमि प्रबन्धक समिति किसी तालाब का पट्टा करने में असमर्थ रहती है अथवा परगनाधिकारी इस बात की आवश्यकता अनुभव करें कि किसी तालाब का पट्टा दिया जाना वांछनीय होगा तो वह बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के स्वप्रेरणा से भी ऐसा पट्टा दे सकता है। यदि पट्टेदार द्वारा पट्टा दिये जाने की तिथि अथवा तालाब सुधार के लिये स्वीकृत ऋण के भुगतान से तीन वर्ष की अवधि में तालाब सुधार एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जाता, तो कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा अन्य किसी श्रोत से जाँच करा कर पट्टा निरस्त कर दुबारा पट्टा देने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायें । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों के अध्यक्ष (प्रधान) तथा सेक्रेटरी (लेखपाल) तथा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार शिविरों में उपस्थित हों और शिविरों में भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील के लिये नामित मछुवा समुदाय के प्रतिनिधि की संस्तुति पर ही परगनाधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किया जाय । यदि भूमि प्रबन्धक समिति किसी तालाब का पट्टा करने में असमर्थ रहती है अथवा परगनाधिकारी इस बात की आवश्यकता अनुभव करें कि किसी तालाब का पट्टा दिया जाना वांछनीय होगा तो वह बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के स्वप्रेरणा से भी ऐसा पट्टा दे सकता है। यदि पट्टेदार द्वारा पट्टा दिये जाने की तिथि अथवा तालाब सुधार के लिये स्वीकृत ऋण के भुगतान से तीन वर्ष की अवधि में तालाब सुधार एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जाता तो कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा अन्य किसी श्रोत से जाँच कराकर पट्टा निरस्त कर दुबारा पट्टा देने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायें इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य आखेट के लिये तालाबों के प्रश्नगत पट्टे दिये जाने तथा मत्स्य व्यवसाय का विकास करने में राजस्व व मत्स्य विभागों के बीच यथोचित तालमेल सुनिश्चित किया जाय ।

3- यहाँ इसका उल्लेख प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त व्यवस्था में निर्धारित वरीयताक्रम के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । जहाँ तक पट्टे की अवधि तथा तालाबों के परम्परागत/सार्वजनिक उपयोग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था तद्नुसार लागू रहेगी । उल्लेखनीय होगा कि जिन तालाबों का परम्परागत/सार्वजनिक उपयोग यथा-कुम्हारी कला हेतु मिट्टी निकालना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, घरों की मरम्मत हेतु मिट्टी निकालना, सिंघाड़े आदि कार्यों में होता रहा है तो वह पूर्ववत् होता रहेगा तथा इस बात का पट्टे की शर्तों में विशिष्ट उल्लेख होगा कि पट्टेदार सार्वजनिक/परम्परागत उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा । पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही 0.5 एकड़ से कम क्षेत्रफल के तालाब/पोखरे सामुदायिक उपयोग हेतु सुरक्षित रहेंगे तथा इनके पट्टे नहीं होंगे किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जहाँ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 0.5 एकड़ तक के तालाबों के पट्टे किया जाना उचित समझा जाय वहाँ जिलाधिकारी के अनुमोदन से 0.5 एकड़ तक के तालाबों के पट्टे भी स्तम्भ-। में वर्णित प्रस्तावों के अनुसार किये जा सकते हैं ।

4- कृपया उपरोक्त संशोधनों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा भूमि प्रबन्धक समितियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें । तद्नुसार इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शासनादेश संख्या-45/I-2/94-रा0-2, दिनांक 4 जनवरी, 1994 में निहित निदेश संशोधित माने जायेंगे तथा उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,

॥ बाबू राम ॥
प्रमुख सचिव ।

संख्या-3736॥I/I-2/95-रा0-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

॥1॥ आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
॥2॥ समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
॥3॥ मत्स्य निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
॥4॥ पशुधन अनुभाग-3, पंचायती राज अनुभाग-I/2, सिंघाड़े अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन ।
॥5॥ राजस्व शीर्षक के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।

आज्ञा से,

॥ आर0के0 दुबे ॥
विशेष सचिव ।